UPGB010028092016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0–1, गौतमबुद्धनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–148/2016
मु0अ0सं0–241/2015
सरकार बनाम रूपेन्द्र आदि
धारा–148,148,149,307,302,323,
504,506,427,458 भा0दं0सं0 व
7 क्रि0लॉ0ए0 एक्ट
थाना–जारचा
जिला–गौतमबुद्धनगर।

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा 321 द0प्र0सं0 पेपर सं0148, वादी की ओर से आपत्ति कागज सं0154ख व अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति कागज सं0 155ख का निस्तारण।

23.11.2025

(1) पत्रावली पेश हुई। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) श्री भाग सिंह भाटी, वादी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंदलीब नकवी, श्री यूसुफ सैफी व अभियुक्तगण की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री हरिराज सिंह उपस्थित है।

(2) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 321 द0प्र0सं0 कागज सं0 148ख एवं उक्त पर प्रस्तुत आपत्ति द्वारा अधिवक्ता मुकदमा वादी तथा प्रति आपत्ति कागज सं0154ख द्वारा अभियुक्तगण कागज सं0 155ख पर सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

(3) प्रार्थना पत्र विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 28.09.2015 को वादिनी मुकदमा इकरामन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। उक्त रिपोर्ट की विवेचना के अनुक्रम में अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 अंकित किये गये बयानात में विरोधाभास है, यथा इकरामन ने अभियुक्तगण की सं0–10 बतायी है, शाईस्ता ने 10 के अतिरिक्त 6 ओर नाम लिये है तथा दानिश ने 10 ओर 6 के अतिरिक्त 3 ओर नाम लिये है। प्रकरण में बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया गया एवं अभियुक्तगण जमानत पर है। पत्रावली में दिनांक 25.02.2021 को आरोप विरचित हो चुके है। पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत है। घटना स्थल से बरामद विवादित कथित मीट विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने पर गोवंश/गाय का मीट, आख्या में पाया गया है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी के रूप में मात्र शाईस्ता पुत्री अखलाक का साक्ष्य

हुआ है। घटना गोवंश के मीट के प्रयोग से सम्बन्धित है जिसमें अभियुक्तगण के पास से 5 लाठी, सरिया व ईट की बरामदगी पुलिस द्वारा दिखायी गयी है जिससे स्पष्ट है कि घटना में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र या धारदार हथियार का प्रयोग नही हुआ है। वादी व अभियुक्तगण के मध्य किसी प्रकार की रंजिश का साक्ष्य भी पत्रावली पर नही है। संविधानिक प्रावधानो के अनुसार अभियुक्त को भी भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है तथा उसके अधिकार न्यायालय में सुरक्षित हैं। अतः उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी) लखनऊ के शासनादेश संख्या–225 डब्लू0सी0/सात–न्याय–5–2025–70 डब्लूसी/2025 दिनांक 26.08.2025 के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज अभियोग को वापस लिये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

(4) विरोध में वादिनी मुकदमा के अधिवक्तागण द्वारा आपत्ति कागज सं0 154ख दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रार्थना पत्र भ्रामक तथ्यों पर आधारित है तथा सामाजिक सदभाव के विपरीत है, प्रार्थिया उक्त प्रकरण की पीड़िता है तथा उसे सुने जाने का पूरा अधिकार है एवं इस कारण वह प्रार्थना पत्र धारा 321 द0प्र0सं0 का विरोध करती है। प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यो की सत्यता विचारण के पश्चात ही जानी जा सकती है। प्रकरण में आरोप विरचित हो चुका है तथा वाद वापसी की अनुमति दिये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नही किया गया है जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त अपराध को वापस लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत हो। प्रश्नगत सत्र परीक्षण गंभीर अपराध से सम्बन्धित है जिसमें प्रार्थिया के पति अखलाक की मृत्यु हो गयी थी व उसका पुत्र दानिश को प्राणघातक चोटे आयी थी एवं वह महीनो अस्पताल में भती रहा था। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र राजनीतिक कारणो से प्रेरित है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) जो कि न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य करते है, को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व तथ्यो का सम्यक अवलोकन व विवेचन करना चाहिए था। वादिनी के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था <u>शिव नन्दन पासवान बनाम बिहार राज्य 1987 एससीआर (1) 702</u> के अनुक्रम में न्यायालय में आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिसंक भीड द्वारा किये गये अपराधो के अनुक्रम में <u>तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 (9) एससीसी 501</u> में दिशा निर्देश पारित किये गये है। प्रश्नगत प्रकरण में न्याय प्राप्ति हेतु विचारण आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

(5) विरोध में अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति कागज सं0 155ख प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वादिनी अभियोजन के अन्तर्गत ही अपने केस की पैरवी कर सकती है। उसे अभियोजन के विरूद्ध जा कर अपना पक्ष रखने का अधिकार नही है जिस कारण की गयी आपत्ति विधि विरूद्ध है। लोक अभियोजक धारा 321 द0प्र0सं0 राज्य सरकार की लिखित अनुमति पर अभियोजन वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। वादिनी मुकदमा के अधिवक्ता मात्र लोक अभियोजक की सहायता हेतु कार्य कर सकते है जिस सम्बन्ध में एसीसी 2013 (83) पेज 379 पैरा–25 में विधि व्यवस्था दी गयी है

तथा इसी अनुक्रम में एसीसी 1998 (39) सुप्रीम कोर्ट पेज 715 पैरा–14 व 15 में भी विधि व्यवस्था दी गयी है तथा एसीसी 1998 (37) पेज 868 पैरा–8 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि शासकीय अधिवक्ता अभियोग को वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अभियोगी के प्राईवेट अधिवक्ता को सरकारी वकील की भॉति कार्य करने के लिए अधिकृत नही किया जा सकता। सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र किस प्रकार प्रस्तुत होगे यह अभियोगी तय नही कर सकता। धारा 300 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत वाद वापसी के पश्चात अभियोगी उक्त के सम्बन्ध में परिवाद प्रस्तुत करके अपने पक्ष को रख सकता है। अतः वादिनी मुकदमा का आपत्ति पोषणीय नही है। निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(6) वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था शिव नन्दन पासवान बनाम बिहार राज्य (1987) 1 एससीआर पेज 702 प्रस्तुत की गयी जिसका मैने सादर परिशीलन किया। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 (9) एससीसी 501 प्रस्तुत की गयी जिसका मैने सादर परिशीलन किया। इसके अतिरिक्त शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2024 एससीसी ऑन लाईन एससी 1717 में दी गयी विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत की गयी जिसका मैंने सादर परिशीलन किया।

(7) अभियुक्तगण की ओर से केरला राज्य बनाम के0 अजीत एवं अन्य एस0आई0आर0 2021 एससी 3954 में दी गयी विधि व्यवस्था का हवाला दिया जिसका भी मेरे द्वारा सादर परिशीलन किया गया।

(8) प्रश्नगत प्रकरण इस न्यायालय में सत्र परीक्षण वाद के तौर पर लंबित है जिसमें आरोप पत्र दाखिल किये जाने के पश्चात तथा दिनांक 21.09.2019 को उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 द0प्र0सं0 निरस्त किये जाने के पश्चात दिनांक 25.02.2021 को आरोप विरचित किये जा चुके हैं तथा पी0डब्लू0–1 के रूप में शाईस्ता का साक्ष्य 54 पृष्ठो तक अंकित किया गया है जिसमे मुख्य परीक्षा मात्र 5 पृष्ठ है तथा लगभग 49 पृष्ठ जिरह की गई है। तत्पश्चात भी जिरह पूर्ण न किये जाने के कारण विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने जिरह निल की है। अभियोजन द्वारा अतिरिक्त रूप से साक्ष्य नही प्रस्तुत किया है। अभियोजन के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 321 द0प्र0सं0 का परिशीलन यह स्पष्ट करता है कि अभियोजन ने अपने प्रार्थना पत्र में साक्षीगण के धारा 161 द0प्र0सं0 में दिये गये बयानात को आधार बनाया है परन्तु उक्त बयान के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आरोप विरचित किया गया है। उक्त बयानो का परिशीलन भी स्पष्ट नही करता कि प्रश्नगत प्रकरण में साक्षीगण का साक्ष्य अभियोजन कथानक को विनष्ट किये जाने की दशा तक दूषित है, अपितु साक्षीगण का साक्ष्य अभियोजन कथानक को समर्थित करता है। अभियुक्तगण की संख्या कम या ज्यादा होना धारा 161 द0प्र0सं0 के स्तर पर महत्वहीन है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वयं अभियोजन ने स्वीकार किया है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट में कथित

मीट गोवंश पाया गया है, अभियुक्तगण के पास से लाठी, सरिया व ईट की बरामदगी हुई है तथा अन्य कोई ऐसा आधार अभियोजन द्वारा नही लिया गया है जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के अभियोजन के आधार को महत्व प्राप्त होता हो। एकमेव परीक्षित साक्षी ने पूर्णतयाः अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। जहां तक वादिनी मुकदमा की आपत्ति का प्रश्न है तो शिव नन्दन पासवान (उपरोक्त) में दी गयी विधि व्यवस्था जो कि स्थापित विधिक स्थिति है, के परिशीलन के बाद इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट हो जाता है कि वादिनी मुकदमा को तत्संबंध में आपत्ति किये जाने का अधिकार प्राप्त है एवं उक्त की आपत्ति सुने व संज्ञान लिये जाने योग्य है। जहां तक अभियुक्तगण द्वारा तत्संबंध में कथित विधि व्यवस्थाओं का प्रश्न है तो उक्त विधि व्यवस्थायें परिशीलनार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है। मात्र आपत्ति में प्रदर्शित की गयी है जिस कारण उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अभिमत दिया जाना यह न्यायालय उचित नही पाती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिव नन्दन एस पासवान (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था माननीय संविधान पीठ का निर्णय है। अभियुक्तगण द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ केरला बनाम के. अजीत (उपरोक्त) का परिशीलन यह स्पष्ट करता है कि उक्त विधि व्यवस्था विधायकगण द्वारा बजट सत्र के दौरान स्पीकर के डायस पर चढने, फर्नीचर तोडने, स्पीकर का चेयर, कम्प्यूटर, माईक इत्यादि तोड़ने से सम्बन्धित है जबकि प्रश्नगत प्रकरण ''माब लींचिंग'' से सम्बन्धित है। अतः उक्त विधि व्यवस्था के प्रावधान प्रश्नगत प्रकरण पर लागू नही होते।

(9) हत्या का गंभीर अपराध समाज के विरूद्ध किया गया अपराध है तथा राज्य इसी कारण मुकदमों की पैरवी करता है ताकि समाज में कानून व्यवस्था का भय बना रहे। दण्ड शास्त्र का सिद्धान्त समाज के बहृत्तर भलाई के लिए स्थापित किया गया है जिस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था आर0एस0 नायक बनाम ए0आर0 अंतुले 1984(2) एससीसी 500 का परिशीलन महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त धारा 321 द0प्र0सं0 इसी कारण इस सम्बन्ध में न्यायालय की सम्मति का प्रावधान करती है तथा इसी बृहत्तर परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 360 बीएनएसएस पीड़िता को सुनवाई का अवसर दिने का भी प्रावधान करता है। अभियोजन द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र आधारहीन है। अतः इसी कारण वश यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने योग्य पाती है। प्रश्नगत प्रकरण 2015 का है तथा प्रश्नगत प्रकरण में आरोप दिनांक 25.02.2021 को विरचित किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (उपरोक्त) को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय पत्रावली को अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्रावलियो की श्रेणी में डालने योग्य समझती है तथा पत्रावली का निस्तारण शीघ्र अति शीघ्र किया जाना उचित पाती है।

आदेश

अभियोजन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 321 द0प्र0सं0 कागज सं0 148ख निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्तियॉ निस्तारित की जाती है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत पत्रावली को अति आवश्यक पत्रावलियों में सूचीबद्ध करके इसके ऊपर इस सम्बन्ध में स्टीकर चस्पा किया

जाये। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह शीघ्र अति शीघ्र साक्षीगण का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करे जिससे कि पत्रावली शीघ्र अति शीघ्र निरस्तारित की जा सके। यह न्यायालय प्रश्नगत पत्रावली को दिन प्रति दिन सुनवाई की पत्रावलियो में सूचीबद्ध करती है। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण सुरक्षा तथा संरक्षा के साथ शीघ्र अति शीघ्र साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश की प्रति के साथ पत्र श्रीमान पुलिस कमिश्नगर, गौतमबुद्धनगर/डी0सी0पी0 ग्रेटर नोएडा को भी जारी किया जाये। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 06.01.2026 को पेश हो।

(सौरभ द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय सं0–1, गौतमबुद्धनगर।
(J.O. Code-UP 1711)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by SAURABH DWIVEDI
Date: 2025.12.23 17:56:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court